

>

Title: Need to enhance the budgetary allocation of swellings per unit from Rs. 25000/- to 50,000/- under Indira Awas Yojana (IAY) and provide a quota under IAY for areas prone to natural calamities.

**श्री हरिकेश्वर प्रसाद (सलेमपुर) :** महोदय, देश में गांव में रहने वाले अत्यंत गरीब लोगों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को इन्दिरा आवास उपलब्ध किये जा रहे हैं। एक इन्दिरा आवास की लागत 25 हजार में एक आवास बनना कितना मुश्किल है। इसकी लागत मूल्य कम से कम 50 हजार किया जाये। साथ यह भी बताना चाहता हूँ कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इन्दिरा आवास के जो लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं वह भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक आपदा के शिकार जैसे बाढ़ पीड़ित, अग्नि पीड़ित एवं सूखा पीड़ित लोगों के लिए इन्दिरा आवास में कोटा रखा जाये। मेरा संसदीय क्षेत्र का एक जिला देवरिया बाढ़ प्रवण क्षेत्र है जहां पिछले वर्ष 21 हजार के लगभग आवास बनाने का लक्ष्य था जो बाढ़ होने के कारण पूरा नहीं हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ है कि देवरिया जिले का कोटा 21 हजार से घटा कर 6 हजार कर दिया गया। इस संबंध में सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवास बनाने पर विशेष बल दिया जाये, जिससे निर्धारित कोटा पूरा हो सके और वहां के गरीब लोगों को आवास मिल सके।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन्दिरा आवास का लागत मूल्य 50 हजार किया जाये, इन्दिरा आवास की सुविधा का कोटा अग्नि पीड़ित, बाढ़ पीड़ित एवं सूखा पीड़ित लोगों को मिले, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोटा को पूरा करने के लिए विशेष बल दिया जाये।